RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अप्रैल-2023 | वर्ष - 15 | अंक : 03 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख - रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

विभूति बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर

पूरा नाम : डॉ. भीमराव अम्बेडकर
जन्मतिथि: 14 अप्रैल, 1891
मृत्युतिथि : 6 दिसम्बर, 1956, दिल्ली में
पिता का नाम: रामजी सकपाल
माता का नाम: भीमाबाई
जन्मस्थान: मऊ छावनी (मध्य प्रदेश)

अपने बचपन से ही भूख–प्यास, अपमान – अन्याय, अत्याचार–अनाचार और सामाजिक विभीषिकाओं की त्रासदी झेलते हुए और अपने कठोरतम परिश्रम, त्याग, बलिदान एवं लगन के बल पर जिन महापुरूषों ने समय–समय पर भारत के गौरवमय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपने–अपने अध्याय जोड़ते हुए नये आयाम–नई दिशाएं सुस्थापित की हैं, उनमें 'भारत–रत्न' बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रमुख है।

यद्यपि डॉ. अम्बेडकर को दलितों के मसीहा तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में ही जाना जाता है, तथापि एक महान राष्ट्रीय एवं सामाजिक चिन्तक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री, निपुण राजनीतिज्ञ एवं संविधान विशेषज्ञ, ओजस्वी वक्ता, अभिवक्ता विधिवेत्ता, प्राध्यापक, राजनेता, कुशल प्रशासक, नारी उद्धारक, बौद्ध धर्म का पुनरोद्धारक और मानवतावादी के रूप में भी उनकी सेवाओं ने जो इतिहास रचा है, वह अजर–अमिट है। जो लोग उन्हे मात्र अपने तक सीमित रखना चाहते हैं वे वास्तव मे बाबा साहेब के साथ घोर अन्याय ही करते हैं। ऐसा कदाचित इसलिए भी किया जाता है, क्योकि वे सब उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा बहुआयामी देशसेवा से निश्चय ही पूर्णतः परिचित नहीं हैं। पूज्य बाबा साहेब के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को वर्ग एवं समुदाय विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वे मात्र एक राजनेता ही नहीं, बल्कि महापुरूष भी थे। वे एक महान राष्ट्रवादी देशभक्त, मानवतावादी, सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, दलित मानवता के उत्थानकर्ता, समत्व के प्रतीक, जुझारू व्यक्ति और आधुनिक भारत के निर्माताओ मे से एक महान व्यक्ति थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में 14 अप्रैल, 1891 को महार जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बालावस्था से ही अपनी सामाजिक स्थिति का बोध होने लगा था। अपने पिता तथा बड़े भाई के संरक्षण एवं मार्गदर्शन से ही मेधावी बालक भीमराव ने अपनी तथा अपने जैसे लोगों की स्थिति को सुधारने हेतु भारी संघर्ष द्वारा जो अर्जित किया, उसे संक्षेप में व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी उनके जुझारू एवं यशस्वी जीवन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

डा0 अम्बेडकर एक दृष्टि में -

- 14 अप्रैल, 1891 : सूबेदार रामजी सकपाल एवं श्रीमती भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप मे, मध्य प्रदेश की महू छावनी मे जन्म।
- नवम्बर, 1900 : गवर्नमेंट वर्नाकूलर हाईस्कूल, सतारा में प्रवेश।
- जनवरी, 1908 : मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।
- जनवरी, 1913 : बी.ए. उत्तीर्ण।
- जुलाई, 1913 : न्यूयार्क विश्वद्यिालय, मे प्रवेश हेतु गायकवाड़ छात्रवृत्ति प्राप्त
- 1915 : एम.ए. उत्तीर्ण।
- 1916 : 'नेशनल डिविडेन्ट ऑफ इण्डिया' पर पी.एच.डी.।
- 1917 – कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी प्राप्त।
- जून 1917 ' महाराजा बड़ौदा (गायकवाड़) के सैन्य सचिव नियुक्त।
- नवम्बर, 1918 : हैडनहम कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड इकोनोमिक्स, बम्बई मे पालिटिकल इकोनोमी के प्राध्यापक नियुक्त।
- जनवरी, 1920 : मराठी साप्ताहिक 'मूकनायक' का प्रकाशन।
- जून, 1923 : हाईकोर्ट आफॅ ज्यूडी केचर, बम्बई में वकालत शुरू।
- जुलाई, 1924 : दलितो के उन्नयन हेतु 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना।
- मार्च, 1927 : चावदार तालाब पर अछूतों को अधिकार दिलाने हेतु महाड़ मे सत्याग्रह
- अप्रैल, 1927 : पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन
- जून, 1928 : 'गवर्नमेट लॉ कालेज, बम्बई में लॉ के प्रोफेसर नियुक्त।
- मार्च, 1930 : नासिक के कालाराम मंदिर मे अछूतो को प्रवेशाधिकार दिलाने हेतु सत्याग्रह।
- दिसम्बर, 1930 साप्ताहिक 'जनता' का प्रकाशन
- 1932 : लंदन की 'गोलमेज सभा' के प्रतिनिधि

नियुक्त।

- सितम्बर, 1932 ' रैमजे मैकडोनल्ड के कम्युनल एवार्ड मे अछूतों के पृथक निर्वाचन को त्याग कर महात्मा गांधी के साथ 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर, संयुक्त निर्वाचन स्वीकार।
- 1932–33 : इण्डिया कॉन्सटीट्यूशन रिफार्म' कमेटी के सदस्य मनोनीत
- जून, 1935 : गर्वनमेट लॉ कालेज, बम्बई के प्राचार्य नियुक्त।
- सितम्बर, 1935 : नासिक जिले के 'वाला' में 'हिन्दू धर्म' त्यागने की घोषणा।
- अगस्त, 1936 : 'इन्डीपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' की स्थापनां।
- जनवरी, 1937 : बम्बई लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य निर्वाचित।
- अप्रैल, 1942 : 'आल इण्डिया शैड्यूल कास्ट्रस फेडरेशन' की स्थापना।
- जुलाई, 1942 : गर्वनर जनरल ऑफ इण्डिया की कार्यकारिणी परिषद् में श्रम मंत्री मनोनीत।
- अप्रैल 1945 : 'पीपुल्स एजूकेशन सोसाइटी' की स्थापना।
- 1947 : भारत के संविधान की 'ड्राफिटंग कमेटी' मे नियुक्ति।
- 1947 : नेहरू मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री नियुक्त।
- नवम्बर 1948 : भारत के संविधान की 'ड्राफ्टिंग कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में संविधान असेम्बली का मसवदा पेश।
- सितम्बर 1951 : 'हिन्दू कोड बिल' तथा अन्य मतभेदों के कारण 'नेहरू मत्रिमण्डल' से त्यागपत्र।
- मई 1952 : राज्यसभा की सदस्यता।
- अक्टूबर 1956 : नागपुर बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दीक्षा।
- 6 दिसम्बर, 1956 : दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित अपने निवास पर महा प्रयाण।

प्रमुख कृतियाँ एवं रचनाकाल

1. कास्ट इन इण्डिया (1916)
2. स्मॉल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडीज (1918)
3. द प्राब्लम ऑफ रूपी (1923)
4. एनिहिलेंशन ऑफ कास्ट (1935)
5. फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1939)
6. रानाडे, गांधी एवं जिन्ना (1943)
7. कम्यूनल डेडलॉक एण्ड वे टू साल्व इट
8. व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स (1945)
9. पाकिस्तान एण्ड पार्टीशन आफॅ इण्डिया (1945)
10. स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज (1947)
11. हिस्ट्री आफॅ इण्डियन करेन्सी एण्ड बैंकिंग (1947)
12. महाराष्ट्र ऐज ए लिंग्विस्टिक स्टेट (1948)
13. द अनटचेबल्स (1948)
14. थॉट्स ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स (1953)
15. हू वेयर शूद्राज ? (1954)
16. राइज एण्ड फाल ऑफ हिन्दू वूमेन
17. गोस्पेल ऑफ बुद्धिज्म
18. बुद्ध एण्ड हिज धम्म

पूना पैक्ट का मूल पाठ

समझौते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था–

1. प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी जो निम्न प्रकार होंगी।

मद्रास 30, बम्बई और सिंध मिला कर 15, पंजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल योग 148, ये संख्या प्रांतीय काउंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था।

2. इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाएगा :

दलित वर्गों के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचनक्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे, जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिए दलित वर्गों के चार अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा। वह चुनाव–पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे।

3. केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त खंड 2 में उपबंधित रीति से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक निर्वाचन के तरीके द्वारा सीटों का आरक्षण होगा।

4. केंद्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी।

5. उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

6. प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर खंड 1 और 4 में दिया गया है, तब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती।

7. केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए दलितों को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है।

8. दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी।

9. सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी।

समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली और उनको भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। अस्पृश्य दुखी थे। ऐसा होना स्वभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष में नहीं है। वे यह जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई हैं। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली हैं, जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें मिलनी थीं। परंतु इससे यह परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना पैक्ट में बहुत अधिक दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना है क्योंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया है।

कम्युनल अवार्ड से अस्पृश्यों को दो लाभ थे –

1. पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्चित कोटा, जिन पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था।

2. दोहरी मतदान सुविधा– वे एक वोट का उपयोग पृथक मतदान के तहत दे सकते थे और दूसरा आम चुनाव के समय देते।

अब यदि पूना पैक्ट ने सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है तो इसने दोहरे मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे मत की सुविधा की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती। कम्युनल अवार्ड द्वारा किया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था। यह एक राजनीतिक हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र में मतदान करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मतदान संख्या का दसवां भाग है। इस मतदान शक्ति से आम हिंदू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्यों की स्थिति निर्णायक होती, चाहे साधिकार न भी हो। कोई भी सवर्ण हिंदू अपने निर्वाचनक्षेत्र में अस्पृश्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखाने की स्थिति में भी न रहता। अस्पृश्यों के मतों पर निर्भर करता। आज अस्पृश्यों की कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है। यदि कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार बरकरार रहता, तो अस्पृश्यों को कुछ सीटें भले ही कम मिलती, परंतु प्रत्येक सदस्य अस्पृश्यों के लिए भी प्रतिनिधि होता। अस्पृश्यों के लिए अब सीटों की संख्या में की गई बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे पृथक मतदान प्रणाली और दोहरे मतदान की क्षतिपूर्ति नहीं होती। हिंदुओं ने यद्यपि पूना पैक्ट पर खुशियां नहीं मनाई, वे इसे पंसद नहीं करते। वे इस अफरातफरी में श्री गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित थे। इस दौरान भावना की लहर चल रही थी कि श्री गांधी के प्राण बचाना महान कार्य है। इसलिए जब उन्होंने समझौते की शर्तें देखी, तो वे उन्हें पसंद नहीं थीं, लेकिन उनमें उस समझौते को अस्वीकार करने का भी साहस नहीं था। जिस समझौते को हिंदुओं ने पंसद नहीं किया और अस्पृश्य उसके विरोध में था, पूना पैक्ट के दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ा और उसे भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

साभार – बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–16
पृष्ठ सं. 95 से 98
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

प्रेम का महत्व

वक्ता ने एक पल ठहरकर श्रोताओं को देखा। वह गर्मजोशी से मुस्कराते हुए उन्हें देख रहा था।

श्रोताओं ने पहलू बदला और कुछ ने एक–दूसरे को अजीब निगाहों से देखा।

वक्ता ने कहा, ''मैं जानता हूँ इस मोड़ पर आपको यह बात अटपटी लगेगी बहरहाल, मैं इस जगह पर आपको यह सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे हिसाब से यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है और शायद सबसे मुश्किल भी। मैं आपको प्रेम का महत्व बताना चाहता हूँ। आपमें से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि किसी व्यावसायिक सेमिनार में प्रेम कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप बहुत जल्दी इसके महत्व को समझ लेंगे।''

उसने आगे कहा, ''प्रेम इंसान का सबसे महान अनुभव है।'' इसके द्वारा हम असीम बुद्धि के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

जब सेक्स और रोमांस की भावनाएँ प्रेम के साथ मिलती हैं, तो यह संयोग हमें रचनात्मक भविष्य–दृष्टि द्वारा सफलता के शिखर तक ले जा सकता है।

प्रेम, सेक्स और रोमांस सफलता के उस शाश्वत त्रिकोण के तीन फलक हैं, जिसे जीनियस कहा जाता है। प्रकृति अन्य किसी माध्यम से जीनियस उत्पन्न नहीं करती है। दरअसल प्रेम मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्तिहै।

सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है, लेकिन यह रेंगने वाले कीड़े से लेकर प्राणी जगत की सर्वोच्च रचना मनुष्य तक सबको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।

जब प्रेम और सेक्स को रोमांस से भाव से जोड़ा जाता है, तो परिणाम बहुत सुखद होता है। ये भाव उन महान लीडर्स को प्रेरित करते हैं,जो दुनिया के गहन चिंतक है।

प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ता है। यह स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और जलन को दूर करता है। जहाँ प्रेम के प्रति निष्ठा नहीं होती, वहाँ सच्ची महानता कभी नहीं मिल सकती।

मैं जिस प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, उसे सेक्स मानने की भूल न करें। सर्वोच्च और सबसे शुद्ध रूप में प्रेम शाश्वत त्रिकोण का हिस्सा है, फिर भी यह बाकी हिस्सों से बड़ा है।

मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ, वह जीवनदायी तत्व यानी अमृत है। उसी की वजह से इंसान ने वे सभी रचनात्मक काम किए हैं, जिनसे मानव जाति का विकास हुआ और हम वर्तमान युग की सभ्यता तक पहुँचे।

यही वह तत्व है, जो इंसानों और उनके निचले स्तर के प्राणियों को अलग करता है। यही तत्व निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति बाकी लोगों के दिल में कितना स्थान बनाएगा।

प्रेम ही वह ठोस नींव है, जिस पर बारह दौलतो में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिये का महल बनाया जा सकता है। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके बिना कोई भी सचमुच दौलतमंद नहीं बन सकता है।

प्रेम बाकी बची हुई ग्यारह दौलतों की भी डोर है। यह सभी दौलतो को बढ़ाता है और स्थायी बनाता है। इसका प्रमाण हमें उन लोगों के जीवन से मिल सकता है, जिन्होंने भौतिक दौलत तो हासिल की, लेकिन प्रेम हासिल नहीं किया।

एक मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत हमें प्रेम की ओर ले जाती है। दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए निःस्वार्थ सेवा प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इमर्सन ने इसी तरह के प्रेम की झलक देखने के बाद कहा था :

जो लोग विनम्रता, न्याय, प्रेम और अभिलाषा के गुणों से संपन्न हैं, वे उस स्तर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका विज्ञान और कला, भाषण और कविता, कर्म और कृपा पर अधिकार होता है। इसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों ने पहले से ही उन विशिष्ट शक्तियों का पूर्वानुमान लगा लिया था, जिन्हे लोग इतना मूल्यवान समझते हैं।

उदार लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब वे किसी अजनबी को समय, धन या सहारा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के कारण देते हैं, तो वे ईश्वर को अपना ऋणी बना लेते हैं और इसके बाद प्रकृति उन्हें बहुत ज्यादा पुरस्कार देती है। इस काम में वे जितना समय लगाते हैं, किसी न किसी रूप में उन्हे वापस मिल जाता है और उनके द्वारा उठाए गए कष्टों से उन्हें लाभ होता है। इस तरह के इंसान मानवीय प्रेम की लौ को कष्टों से उन्हें लाभ होता है। इस तरह के इंसान मानवीय प्रेम की लो को जलाए रखते हैं और सहृदयता व परोपकार के स्तर को ऊँचा उठाते हैं।

हर युग में महान लोगों ने प्रेम को उस अमृत के रूप में महसूस किया है, जो इसांनों के दिलों को एक सूत्र में पिरोता है और सबको एक–दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अमेरिका के महान चिंतक रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल ने प्रेम पर अपने विचार बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किए हैं, जो हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा था :

प्रेम जिंदगी के काले बादलों के बीच में एकमात्र इंद्रधनुष है।

यह सवेरे का और शाम का सितारा है।

यह बच्चे पर भी चमकता है और शांत मकबरे को भी रोशन करता है।

यह कला का जनक है तथा कवि, देशभक्त और दार्शनिक की प्रेरणा है।

यह हर घर की हवा और प्रकाश है। हर अँगीठी की आग इसी से सुलगती है।

यह अमरता का सपना देखने वाली पहली चीज है।

यह दुनिया को संगीत से भर देता है – क्योंकि संगीत प्रेम की आवाज है।

प्रेम जादूगर है, क्योंकि यह छोटी–छोटी चीजों में भी खुशी ढूँढ़ लेता है और सामान्य लोगों को राजा या रानी बना देता है।

यह हृदय नाम अद्‌भुत फूल की सुगंध है। इसके पवित्र भाव और देवी आवेग के बिना हम पशु से भी निम्न स्तर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके होने पर धरती स्वर्ग बन जाती है, और हम दैवी स्तर पर पहुँच जाते हैं।

प्रेम कायापलट कर देता है। यह उदात्त बनाता है, शुद्धिकरण करता है और आदर्श बनाता है।

प्रेम एक दैवी उद्‌घोष है। संसार प्रेम की सुंदरता उधार लेता है और स्वर्ग इसकी महिमा उधार लेता है। न्याय, संयम, परोपकार और करूणा प्रेम की संतानें हैं। ''प्रेम के बिना सारा यश फीका पड़ जाता है, महान लोग जिंदगी में नीचे गिर जाते हैं, कला का नामोनिशान मिट जाता है, संगीत अपना अर्थ खो लेता है और सद्‌गुणों का अस्तित्व नहीं रहता है।''

सचमुच महान व्यक्ति पूरी मानव जाति से प्रेम करता है। वह अच्छे–बुरे दोनों तरह के लोगों से प्रेम करता है। वह अच्छे लोगों को गर्व, प्रशंसा और खुशी से प्रेम करता है। वह बुरे लोगों को करूणा और दुख से प्रेम करता है। जो व्यक्ति सममुच महान है, वह यह जानता है कि लोगों के अच्छे–बुरे दोनों तरह के गुण सिर्फ परिस्थितियों की देन होते हैं, जिन्हें वे अपनी अज्ञानतवश नियंत्रित नहीं कर पाते हैं।

सचमुच महान बनने के लिए व्यक्ति को करूण, सहानुभूतिपूर्ण और सहिष्णु होना चाहिए। यदि उसे दूसरों का मूल्यांकन करना ही हो, तो वह न्याय के साथ–साथ करूणा और सहानुभूति से मूल्यांकन करेगा। उसका दिल हमेशा कमजोरों, अज्ञानियों और गरीबों के कष्ट को समझेगा।

इस तरह व्यक्ति फेलोशिप के सच्चे भाव में न सिर्फ एक मील ज्यादा आगे तक जाएगा, बल्कि अपनी इच्छा से और खुशी–खुशी जाएगा। और अगर एक मील ज्यादा आगे जाने से काम नहीं चलेगा, तो वह दो, तीन या चार मील ज्यादा आगे जाएगा और जितने मील ज्यादा आगे तक जाना जरूरी होगा, उतने मील आगे तक जाएगा।

वक्ता का संदेश गूढ़ था। भाषण खत्म करने के बाद जब वह मंच से चला गया, तब भी कई श्रोता अपनी जगह पर बैठकर उसके सशक्त शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते रहे। जब वे हॉल से बाहर निकले, तो आधी रात बीत चुकी थी।

साभार :
अमीरी की चाबी आपके हाथ में
पेज संख्या 87 से 91 तक
नेपोलियन हिल

डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

तेजपाल सोलंकी
भीम सेना प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश
मो. 9179825381

लोगों को सबसे पहले रखें

दूसरों के साथ अच्छी तरह मिलकर चलने की आपकी योग्यता आपके कमाने की योग्यता पर किसी भी अन्यु गुण से ज्यादा प्रभाव डालेगी। आप सचमुच जितने योग्य है, उतना कमाने के लिए आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने में विशेषज्ञ बनना होता है।

अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में हारवर्ड युनिवर्सिटी के डॉ. हॉवर्ड गार्डनर यह क्रांतिकारी दावा करते है कि व्यक्तियों में कई प्रकार की बुद्धि होती है। उनका निष्कर्ष है कि हम सभी कई मायनों में बुद्धिमान होते हैं और भले ही हमें स्कूल में भारी ग्रेड नहीं मिले हों, लेकिन इसके बावजूद दूसरे मायने में हम बहुत हो सकते हैं। इन दो क्षेत्रों को स्व–संबंधी बुद्धि और बुद्धिमान पारस्परिक बुद्धि में शामिल किया गया है।

स्व–संबंधी बुद्धि की परिभाषा यह है कि आप अपने साथ चलने में कितने अच्छे हैं। यानी आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते और समझते हैं। आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों, अपने आदर्शों, रायों, लक्ष्यों और सपनों के बारे में कितने स्पष्ट हैं। जिन लोगों में इस तरह की बुद्धि ज्यादा होती है, वे इस बारे में बहुत जागरूक रहते है कि वे कौन हैं और वे कौन नहीं हैं। इससे वे अपने साथ ईमानदार और निष्पक्ष बनने में सक्षम होते हैं। वे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं। फलस्वरूप, वे दूसरों के साथ ज्यादा ईमानदार और निष्पक्ष रह सकते हैं।

स्व–संबंधी बुद्धि ही वह नींव है, जिस पर दूसरी तरह की बुद्धि यानी पारस्परिक बुद्धि टिकी होती है। पारस्परिक बुद्धि दूसरे लोगों के साथ संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने, व्यवहार करने और उन्हें राजी व प्रभावित करने की योग्यता है। जो लोग ऐसे व्यवसायों में सफल होते हैं, जिनमें दूसरे लोगों के साथ सक्रिय व्यवहार की जरूरत होती है, जैसे–सेल्सपीपुल, मैनेजर, परामर्शदाता, सलाहकार और वकील, उन सभी में उच्च पारम्परिक बुद्धि होती है।

अपनी बुद्धि बढ़ाएँ

आप किसी क्षेत्र में सीखकर और अभ्यास करके उस क्षेत्र में अपनी बुद्धि बढ़ा सकते है। शायद सबसे महत्त्वपूर्ण बुद्धि, जिसे आप चेतन रूप से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से विकसित कर सकते हैं, वह है आपकी पारम्परिक बुद्धि। ऐसा इसलिए है, क्योंकि संबंध बनाना और उन्हें कायम रखना अपकी पेशेवर सफलता और आत्म–अवधारण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ ही काफी हद तक हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जब हम छोटे होते हैं, तो अपनी पहचान के बारे में हमारा एकमात्र संकेत यह होता है कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि लोग हमारे साथ दयालुता, सम्मान और अच्छे हास्य के साथ पेश आते हैं, तो हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हम काफी अच्छे हैं, जो दयालुता, सम्मान और उचित व्यवहार के अधिकारी हैं। ये नजरिये वयस्क जीवन में भी बने रहते हैं।

तीन गहरी आवश्यकताएँ

मनोवैज्ञानिकों ने तीन बुनियादी सामाजिक योग्याताओं को पहचाना है, जो हम सभी में होती हैं : समावेश, नियंत्रण और स्नेह। समावेशन यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हम किसी समूह के सदस्य हैं कि हमें परिवारों, कार्य समूहों, सामाजिक समूहों, व्यावसायिक संगठनों और पेशेवर संबंधों में शामिल किया जाता है। हमें चाहे जाने, स्वीकार किए जाने और महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता होती है।

हमारी दूसरी सामाजिक आवश्यकता नियंत्रण की होती है। मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नियंत्रण का अहसास सकारात्मक मानसिक नजरिये का आधार है। हम उसी हद तक खुश होते हैं, जिस हद तक हम महसूस करते हैं कि हमारा अपने जीवन पर नियंत्रण है। हम उस हद तक नाखुश रहते हैं, जिस हद तक हम महसूस करते हैं कि हम नियंत्रण के बाहर हैं या कोई दूसरा व्यक्ति अथवा वस्तु हमें नियंत्रित कर रही है। ज्यादातर तनाव हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण हिस्से में नियंत्रण के बाहर महसूस करने से उत्पन्न होता है।

हम सभी में तो तीसरी सामाजिक आवश्यकता होती है, वह स्नेह की है। इस अहसास के बिना जीना मुश्किल है कि कोई हमारी परवाह करता है। पूरे संसार में एक व्यक्ति भी कहीं पर हमारी परवाह करता है, कई बार तो बस यह जानने से ही हमारा पूरा जीवन सार्थक लगने लगता है।

आप वह कार्य हैं, जो प्रगति पर हे

प्रकाशन के संसार में एक वाक्य चलता है– कार्य प्रगति पर है। इसका मतलब है कि वह पुस्तक, जिसके प्रकाशन की तिथि तय कर ली गई है, लेकिन जो अब तक पूरी नहीं हुई है, लेखन अब भी इस पर काम कर रहा है।

हममें से हर व्यक्ति वह कार्य है, जो प्रगति पर है। हममें से प्रत्येक संसार के तौर–तरीकों में अनुभवहीन पैदा होता है और सीखता है। समय के साथ और बहुतेरे मुश्किल झटकों के बाद हम चरित्र और व्यक्तित्व की गहराई विकसित करते हैं। हम अपने सारे सबक मानव संपर्क की कड़ी परीक्षा में सीखते हैं।

आपके व्यक्तित्व के कुछ हिस्से पूरी तरह से अनछुए और अविकसित रहेंगे, जब तक कि आप गहरे, सार्थक, अंतरंग, भावनात्मक संबंधों में उन लोगों के साथ दाखिल नहीं होंगे, जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो बदले में आपसे प्रेम करते हैं। केवल तभी आप व्यक्तित्व की उस गहराई को विकसित करते हैं, जो आपको एक ज्यादा परिपक्व, पूर्णतः कार्यशील और पूरी तरह एकीकृत व्यक्ति बनाता है।

चरित्र की पूर्णता

मेरे पहले कराटे स्कूल की दीवार पर एक साइनबोर्ड था, जिस पर लिखा था, ''कराटे का चरम लक्ष्य विजय या पराजय में नहीं, बल्कि इसके प्रतिभागियों के चरित्र की पूर्णता में निहित है।''

मैं सोचता हूं कि यह जीवन का भी चरम लक्ष्य है– इसके प्रतिभागियों के चरित्र की पूर्णता और इसका आदर्श होना। आप जो बनने में सक्षम हैं, वह सब बनना आपके लिए संभव नहीं हैं, अगर आपको लोगों के साथ संबंधों के जरिये सबक न मिलें, जिनके बारे में आप गहराई से परवाह करते हैं और जो बदले में आपकी गहराई से परवाह करते हैं।

सात अनिवार्य सिद्धांत

संबंध बेहद जटिल हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए केवल कुछ बुनियादी सिद्धांतों की ही आवश्यकता होती है। मैं आपको सात सिद्धांत बताता हूँ :

पहला सिद्धांत : पहला सिद्धांत है विश्वास। सभी संबंध अंततः विश्वास पर आधारित होते हैं। विश्वास बनने के लिए आपको हमेशा अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। आप जो भी कहते और करते हैं, हर चीज में आपको अविरोधी और विश्वसनीय बने रहना है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, जो हर स्थिति में पूरी तरह विश्वसनीय होता है। आप कभी कोई ऐसी चीज करते या कहते नहीं हैं, जो विश्वास की उस बुनियाद को हिला सके, जिस पर आपके संबंध टिके होते हैं।

दूसरा सिद्धांत : दूसरा सिद्धांत है सम्मान। किसी व्यक्ति के अनूठेपन के लिए इरादतन सम्मान व्यक्त करने का समय निकालने से वह मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करता है। इस तरह का सम्मान प्रदर्शित करके आप अपने संबंधों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

तीसरा सिद्धांत : संबंधों में सफलता का तीसरा सिद्धांत है संप्रेषण। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संप्रेषण केलिए समय तक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। किसी संबंध का महत्व आपके और सामने वाले दोनों के लिए बढ़ सकता है, जो समय की उस मात्रा पर निर्भर करता है, जिसका आप निवेश करते हैं। जब आप किसी संबंध के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकलते हैं, तो आप संप्रेषण के मार्ग खोल देते हैं। जब आप शांति से, धैर्य से और पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आप सामने वाले के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं और अपने बीच के विश्वास के स्तर को गहरा बनाते हैं।

चौथा सिद्धांत : चौथा सिद्धांत है शिष्टाचार। जब आप अपने जीवन में मौजूद लोगों को नियमित रूप से कृपया और धन्यवाद कहते हैं, तो आप उन्हें उनके और उनके कामों के बारे में बेहतर महसूस कराते हैं। आप उनके आत्म–गौरव को बढ़ाते हैं। अफसोस, अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों की हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, उन्हीं के साथ हम सबसे कम शिष्ट और विनम्र होते हैं। एम्मेट फॉक्स ने एक बार लिखा था, ''अगर आपको बदसलूकी करनी हो, तो अजनबियों के साथ करें। लेकिन अपने परिवार के साथ वैसा ही शिष्टाचार करें, जैसा अपनी कंपनी में दूसरों के साथ करते हैं।''

पाँचवाँ सिद्धांत : परवाह करना। आप दूसरों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह है बिना शर्त के प्रेम और स्वीकृति का तोहफा। आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह है उनकी आलोचना, निंदा या शिकायत से बचना।

लोगों का दिल तोड़ने के बजाय खुद को उनका दिल खुश करने वाले के रूप में देखें। उन्हें कोई सही चीज़ करते पकड़ें। हमेशा ऐसे तरीके तलाश करें, जिनसे लोग, ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा सम्मानित और ज्यादा प्रिय महसूस करें।

किसी संबंध में पाँच सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जितना ज्यादा संभव हो, इन्हें दोहराते रहें। जितने अलग–अलग तरीकों से संभव हो, इन्हें अपने जीवन से सबसे महत्त्वपूर्ण लोगों के सामने दोहराते रहें।

छठा सिद्धांत : लोक–व्यवहार में सफलता का छठा सिद्धांत दूसरों द्वारा आपके लिए की जाने वाली हर चीज़ की प्रशंसा और कद्र का तालमेल है, चाहे वह चीज़ बड़ी हो या छोटी। जब कोई आपके लिए कुछ करता है और आप बदले में उसे धन्यवाद देते हैं, तो वह अपने बारे में बेहतर महसूस करता है और वह आपके लिए ज्यादा करना चाहता है। जब कोई किसी तरह की उपलब्धि हासिल करता है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका आत्म गौरव बढ़ जाता है है। वे मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण महसूस करते हैं। इसका बूमरैंग–प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपका भी आत्म–गौरव बढ़ जाता है, मानो आपकी खुद की प्रशंसा या कद्र की गई हो।

सातवाँ सिद्धांत : संबंधों में सफलता का सातवाँ सिद्धांत है सहायकता, खास तौर पर उन लोगों के साथ, जिनके साथ आप रहते हैं। अगर आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के बोझ को कम करने के लिए प्रयास करते हैं और छोटी–छोटी चीजें करने की सतत इच्छुकता दर्शाते हैं, तो इसकी हमेशा प्रशंसा होती है और सम्मान मिलता है। एक दूसरे को बातें बताने, योगदान देने और मदद करने की तत्परता स्थायी संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू है।

आप जीवन में शायद जो सबसे महत्त्वपूर्ण चीज करते हैं, वह है उन लोगों के साथ दीर्घकालीन, आनंददायक, स्वस्थ, संतुष्टिदायक संबंध बनाना और कायम रखना, जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। जब आप हर दूसरी चीज को इस केंद्रीय उद्देश्य के अधीन कर देते हैं, तो आप खुशी और पुरस्कारों को अपने प्रयासों के अनुपात में तेजी से बढ़ता पाएँगे।

कार्य अभ्यास

1. दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए जब भी आप बॉस या सहकर्मी से मिलें, तो हर बार मुस्कराकर बिना शर्त की स्वीकृति का अभ्यास करें।
2. लोग जो भी सकारात्मक या सहायक चीज करें, हर चीज के लिए धन्यवाद देकर नियमित रूप से अपनी प्रशंसा व्यक्त करें।
3. लोगों के कपड़ों, कारों, चीजों, व्यक्तित्व के गुणों और उपलब्धियो पर अपनी प्रशंसा करें और बधाई दें।
4. लोगों की छोटी–बड़ी उपलब्धियों के लिए अनुमोदन व्यक्त करें। इस तरह आप मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करने की मानव स्वभाव की गहन लालसा को संतुष्ट करते हैं।
5. रुचिकर बनें, भले ही आप सहमत न हों। सामने वाले की कही बातों में कोई अच्छी बात खोजें और उसे स्वीकार करें।
6. किसी भी कारण लोगों की आलोचना या निंदा करने से इंकार कर दें, उनके सामने भी और पीठ पीछे भी।
7. लोगों के आत्म–गौरव और आत्मसम्मान बढ़ाने के तरीके लगातार खोजें, ताकि वे अपने और आपके बारे में अच्छा महसूस करें।

साभार :
अपनी योग्यता के अनुरूप कमाएँ।
पेज संख्या 165 से 171 तक
ब्रायन ट्रेसी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

शूद्र एक नस्ल है जाति नहीं

वैज्ञानिक शब्दावली में नस्ल को रेस (RACES) कहते हैं। रेस और नस्ल एक नाम है। यही नस्ल ही वैज्ञानिक शब्दावली में प्रजाति है, किंतु भारत में जिन आर्यों का आगमन हुआ, आगमन के बाद भारत महाद्वीप (भारत, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका) पर कब्जा और तत्पश्चात खुद आर्यों के तीन भाग (श्रेणी) में बंट जाने के बाद आर्यों ने प्रजाति (RACES) की जगह जाति (CAST) कर दिया जो आज घृणा का घृणितम रूप है। प्रजाति (नस्ल) से जाति की देन आर्यो की सोची–समझी रणनीति के तहत है। हालांकि जातियों का विभाजन पेशे के कारण पेशे के नाम पर हुआ और यह नाम दिया, भूपतियों, सामंतों, मालिकों, तथा नरेश अमात्यों ने, जो कालांतर में जन्मगत हो गया।

भारत में जिस नस्ल (सैंधव, शिवालिक) की उत्पत्ति हुई, वहीं आर्यों के आगमन के हजार वर्ष बाद शूद्र बन गई, बन यों गई कि आर्य अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीय नस्ल (प्रजाति) को जाहिल, गंवार, अनार्य, डोम, चांडाल, दास, दस्यु, अबोध, शबर, शांबर, वानर, राक्षस और गुलाम (शूद्र) कहते थे। प्रारंभ में सैंधव और शिवालिक (HOMO SAPIENS-SAPIENS) की जगह शूद्र शब्द का प्रयोग करते थे और करते रहे और अपने को आर्य (SAPIENS) कहते रहे।

भारत में जो आर्य प्रजाति (RACES) है, वह कोई एक तथा आर्य नाम की कोई प्रजाति नहीं है। आर्य का आर्य श्रेष्ठ कहकर बाहर से आई प्रजातियों ने अपने समूह (विदेशी समूह) का नाम रखा है। मुख्यतः आर्य की तीन प्रजातियाँ हैं, जो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के रूप में विभाजित हैं। आर्य का दूसरा नाम (द्विज) भी है। आर्य की तीन प्रजातियां (RACES) निम्नलिखित हैं –

i) **निएंडरस्थल (HOMO SAPIENS) -** फूहलरोट ने 1856 में खोज कर बताया कि इस प्रजाति की उत्पत्ति 1.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई जो कालांतर में यूरोप तथा एशिया (भारत उपमहाद्वीप) आदि में फैली। जो आज द्विज–ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य है।

ii) **ग्रीमाल्डी(HOMO-SAPIENS-SAPIENS) -** यूजीन डुबाय ने 1891 में खोज कर यह बताया कि इस HOMO ERECTUS प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया की पहाड़ियों में हुई जिसकी एक शाखा यूरोप तथा दूसरी शाखा भारतीय उपमहाद्वीप में फैली।

iii) **क्रोमेग्नन (CRO-HOMO-SAPIENS) -** इस प्रजाति की उत्पत्ति केवल 32000 वर्ष ईसा पूर्व में फ्रांस के डोडोन प्रांत के क्रो–मेग्नन की पहाड़ियों में हुई। इस प्रजाति की खोज–मैक्ग्रीगर ने सन् 1868 में की और बताया कि यह प्रजाति फ्रांस की पहाड़ी से निकलकर प्रथम समूह–इटली, द्वितीय समूह–जर्मनी, तृतीय समूह–भारतीय उपमहाद्वीप, चतुर्थ समूह– चेकोस्लोवाकिया, पंचम समूह–अफ्रीका, षष्ट समूह–इजराइल तथा सप्तम समूह– ईजियन तट पर पसर गई। भारतीय उपमहाद्वीप की शाखा समूह पूर्व की तीन शाखाओं में विलीन हो गई। जो आज द्विज–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में विद्यमान हैं और आज 1400 उपजातियों में बंटे हुए हैं। आर्य आज एक संकर प्रजाति (नस्ल) है जो सैंधव–शिवालिक को टुकड़ों में बांटकर स्वयं बिखरे हुए हैं।

भूतकाल का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना तो ठीक है किंतु भूतकाल को पढ़कर भूत बन जाना ठीक नहीं है, अथवा भूतकाल का ही होकर नहीं रह जाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने भूतकाल में केवल आर्य साहित्य को पढ़ा तथा पढ़कर आर्य बनकर रह गए। डॉ. अंबेडकर ने शतपथ ब्राह्मण को वेद की पूर्व की रचना मानकर एक ब्राह्मणी से शादी करने के बाद अपने को आर्य (क्षत्रिय) सिद्धि करने में जीवन बिता दिया। शादी के बाद अंतिम रचना (बुद्ध और बौद्ध धम्म अंतिम रचना है तथा शूद्र कौन थे? शादी के तुरंत बाद लिखा।) शूद्र कौन थे? में लिखते हैं कि शूद्र पहले आर्य (क्षत्रिय) था। अर्थात भारत के सारे शूद्र क्षत्रिय हैं, और आर्य नस्ल के अनुसार डॉ. अंबेडकर ने जबरदस्ती क्षत्रिय बनकर शूद्रों को ब्राह्मणों का जातीय पुछल्ला लगा दिया। जो आज शूद्र लटका हुआ है शून्य में–डॉ. अंबेडकर ने एक तरफ तो शूद्रों को, जो एक विश्व की स्वतंत्र नस्ल है, एक मच्छर की तरह बना दिया कि वह आर्यों का ही एक वर्ण क्षत्रिय है। उधर क्षत्रिय (द्वितीय वर्ण) का पुछल्ला भी जोड़ दिया और उधर बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर कह दिया कि बौद्ध धर्म ग्रहण करो। अब करोड़ों शूद्र बीच में लटक गए। न क्षत्रिय लिख पाते हैं, न बन पाते हैं और न क्षत्रिय वर्ण की सुविधा पाते हैं, न हिंदुत्व छोड़ पाते हैं, न बौद्ध अपना पाते हैं और न ही अपनी शूद्र नस्ल की अस्मिता के लिए ही संघर्ष कर पाते हैं। डॉ. अंबेडकर शूद्र नस्ल को अपना मानकर (जो कि वे हैं) शूद्र नस्ल की अस्तित्व की लड़ाई लड़ते, शूद्र–सैंधव या शिवालिक धर्म का या कोई भी नाम देकर बौद्ध धर्म को अपना लेते तो शूद्रों की आज यह दुर्दशा न होती। शूद्र आज मारे–मारे न फिरते।

वर्तमान भारत में निवास करने वाली विदेशी नस्लें

1. आर्यन (ARYAN NORDIC) -

i) आगमन काल–उ.पू. 2000–उ.पू. 1600 तक

ii) भारत में कहां–कहां हैं?–बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, सिंध, पंजाब, राजस्थान एवं गंगा की घाटी में बस गए। सैंधव निवासियों का कत्ल करते हुए, अधिकतर भागों पर कब्जा कर लिए। अब सारे भारत वर्ष में फैले हैं, वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में हावी हैं।

iii) विश्व में कहां–कहां से आए?

A. यूरोप के स्टेपी प्रदेश से
B. टुंड्रा प्रदेश के यूराल पर्वत (कंदराएं) से
C. स्वीडेन से F. मलेशिया से
D. नार्वे से G. सं रा. अमेरिका से
E. ब्रिटेन से H. उत्तरी अफगानिस्तान से

iv) नार्डिक की विशेषताएं –

A. शारीरिक एवं मानसिक रूप से श्रेष्ठ
B. आंखों का रंग नीला एवं भूरा
C. सिर माध्यमिक रूप से ऊंचा
D. ललाट सीधा–चमकदार
E. नाक छोटी–प्यारी
F. चेहरा छोटा
G. अक्षर पतले
H. बाल पीले भूरे एवं लहरदार
I. कपाल सूचकांक उत्तम
J. ईर्ष्यालु, हिंसक एवं अंधविश्वासी

v) वर्तमान पहचान – दक्षिण में द्रविण–ब्राह्मण, अन्य जगहों में क्षत्रिय एवं ब्राह्मण

2. आर्यन – ARYAN (ALPINE)

I. आगमन काल–ई.पू. 1600–ई.पू. 1000 तक

II. भारत में कहाँ–कहाँ हैं ?

महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं जम्मू–कश्मीर, सैंधव–शिवालिकसे अविराम से खूंखार अल्पाइन संघर्ष करते, हारते–हराते, कब्जा कर यहीं उपनिवेश बनाकर बस गए। धीरे–धीरे यहीं इन्ही में घुल–मिलकर यहीं के होकर रह गए। अब सारे भारत वर्ष में ये अपने चाल–जाल एवं फरेब के बल पर सैंधव। शिवालिक पर हावी होकर दबदबे के साथ रह रहे हैं। आज इनकी रक्तशुद्धता खत्म हो चुकी है क्योंकि सैंधव–शिवालिक शूद्र इनके रक्त में अपना रक्त मिलाकर शूद्र बना चुके हैं।

III. विश्व में कहाँ–कहाँ से आए?

A. मध्य यूरोप के स्टोपी प्रदेश से
B. कोस्टेंस झील से घिरे आल्पस पर्वत की कंदराओं से
C. मध्य एशिया के देमाबंद की कंदराओं से
D. ईजियन सागर की शाखा डेन्यूब की घाटी से
E. बोल्गा नदी की घाटी से

IV. वर्तमान पहचान–दक्षिण भारत में द्रविण तथा अन्य जगह ब्राह्मण

V. आर्यन्स–अल्पाइन की विशेषताएं –

A. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ
B. कपाल सूचकांक मध्यम
C. सिर ऊँचा, ललाट सीधा
D. नासा सूचकांक मध्यम
E. त्वचा का रंग हल्का श्वेत एवं लाल
F. होंठ पतले गुलाबी
G. औसत कद–165 सेंमी से 170 सेंमी तक
H. चेहरा लंबा चमकदार
I. ईर्ष्यालु एवं कट्टर धार्मिकता

3. भूमध्यसागरीय (MEDITERRANEANS) -

I. आगमन काल–उ.पू.–1200–ई.पू. 400 तक

II. भारत की तीन प्रमुख प्रजातियों (नीग्रेटो, पूर्व द्रविण और मंगोल) के तत्व ही अधिक हैं। ये भूमध्य सागरीय, एल्पो डिनारिक और नार्डिक प्रजाति हैं। इनमें अधिकाधिक भूमध्यसागरीय हैं। इस प्रजाति की अनेक किस्में हैं जो लंबे सिर, काले रंग और अपनी ऊंचाई द्वारा पहचानी जाती हैं, भारत में इस प्रजाति की तीन किस्में निम्नांकित हैं–

क) प्राचीन भूमध्य सागरी–(PALAEO)

ये लोग काले और सांवले होते हैं। चेहरा लंबा लहरदार, नाक चौड़ी, कद–मध्यम, बाल इनके सारे शरीर पर होते हैं। दक्षिण भारत के तमिल ब्राह्मण तथा तेलुगू ब्राह्मण इस प्रजाति की निशानी हैं। ये विशेष धार्मिक तथा असभ्य होते हैं।

वर्तमान पहचान–तमिल ब्राह्मण, तेलुगू ब्राह्मण

(ख) भूमध्यसागरीय–(MEDITERRANEANS)

I. भारत में कहां–कहां हैं?

पंजाब, कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

वर्तमान पहचान–पंजाब, कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण यही हैं। मध्य प्रदेश के मराठा ब्राह्मण, कोचीन, महारष्ट्र व मालाबार के ब्राह्मण यही हैं।

III. भारत में कहां–कहां से आए?

A. दक्षिण टर्की से
B. निकोसिया (साइप्रस) से तथा
C. पूर्वी यूरोप से

IV. भूमध्य सागरीयंस की विशेषताएं–

A. शारीरिक रूप से स्वस्थ
B. मानसिक रूप से कट्टर, ईर्ष्यालु, हिंसक
C. कपाल सूचकांक मध्यम
D. त्वचा का रंग भूरा–श्वेत
E. आंखों का रंग भूरा
G. बाल–काले, लहरदार

ग) पूर्वी अथवा सेमेटिक प्रजाति (ORIENTAL RACE)

इनकी नाक लंबी–नतोदर है। ये पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हैं। इस समय ये कुछ ब्राह्मण तथा कुछ क्षत्रिय के रूप में विद्यमान है।

4. प्रोटो आस्ट्रेलायड (PROTO-AUSTRALOID)-

I. आगमन काल–ई.पू. 600–ई.पू. 400 तक

II. भारत में कहां–कहां हैं?

राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में बड़ी मजबूती से जमे हुए हैं। यहां पर ये कुछ द्रविण, कुछ अनुसूचित तथा कुछ जनजातियों में मिले हुए हैं। कहीं इनकी पहचान संभव तथा कहीं असंभव हैं। इनकी एक विशेष पहचान है कि ये जहां भी होंगे/हैं। बड़े चालाक, हिंसक एवं धार्मिक कट्टरता लिए हुए हैं। ये पशु बलि में विश्वास रखते हैं, ये गिद्ध दृष्टि रखते हैं।

III. ये कहां–कहां से आए हैं?

A. फिलीस्तीन
B. आस्ट्रेलिया

IV. प्रोटो आस्ट्रेलायड की विशेषताएं–

A. कद छोटा
B. त्वचा का रंग भूरी–काला
C. सिर लंबा, नाक–चपटी, चौड़ी
D. बाल घुंघराले
E. होंठ मोटे और मांसल
F. कपालगुहा का आयतन–1274–1775 CC
G. ईर्ष्यालु, हिंसक एवं धार्मिक कट्टरता

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

H. चेहरा मध्यम

V. वर्तमान पहचान–दक्षिण भारत में चेंचू, मलायन, कुरूंबा, यरूबा, मंडा, कोल, संथाल और भील समूह के रूप में विद्यमान। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुर्मी एवं लोहार के रूप में।

6. नीग्रीटो (NEGRITOS)

I. आगमन काल–ई.पू.–1000–ई.पू. 500 तक

II भारत में कहां–कहां हैं?

दक्षिण भारत की जनजातियों में हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हैं। असम तथा पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में हैं। उत्तर में हिमालय की तलहटी में हैं। दक्षिणी द्वीपों पर हैं।

III. वर्तमान पहचान–अंगामी नागा, बांगड़ी, इरूला, कडार, पुलायन, मुथुवान, कन्नीकर, परियान, सेमांग और ओरांव जनजातियों के रूप में विद्यमान हैं।

IV. भारत में कहां–कहां से आए?

A. सर्वप्रथम मलेशिया से बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार से घुसे। कुछ उत्तर में हिमालय की तलहटी में तथा कुछ दक्षिण के द्वीपों पर गए।

B. दूसरी किस्त समूह आस्ट्रेलिया से आए जो राजस्थान एवं लाहौर के क्षेत्रों में संघर्ष कर–करके वहीं बस गए।

V. नीग्रीटो की विशेषताएं–

A. शारीरिक रूप से गठे स्वरूप

B. कपाल गुहा का आयतन–1200–1400 CC तक

C. आंखों का रंग–नीला–भूरा

D. त्वचा का रंग–श्वेत–श्याम

E. कद–165 सेंमी. तक

F. अधर–पतले–मध्यम

G. सिर–माध्यमिक रूप से ऊंचा

H. ईर्ष्यालु, हिंसक एवं घोर धार्मिकता

6. मंगोलायड (MONGOLOIDS)

I. आगमन काल–ई.पू. 400– से 40 ई. तक

II. भारत में कहां–कहां हैं?

इस प्रजाति की उत्पत्ति मलेशिया से हुई है। इनका मूलस्थान एशिया ही है। चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, कोरिया, मध्य एशिया आदि भागों में इनकी संख्या बहुतायत है। तिब्बती मंगोलायड की संख्या में विराजमान है। इनका कद लंबा, चौड़ा सिर, हल्का रंग, नाक थोड़ी दबी हुई होती है, इनके शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। श्रम इनकी नियति है।

III. वर्तमान पहचान–यह उप हिमालय प्रदेश, असम और बर्मा की सीमा पर नागा, मीरी और बोंडों के नाम से पाई जाती है। बांग्लादेश में चिटगांव पर्वतीय मूल निवासी जैसे चकमास इसी श्रेणी के हैं। इस प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। दक्षिण तथा (उत्तर भारत में कम) महाराष्ट्र, गुजरात प्रांत में तथा उड़ीसा और बिहार में ब्राह्मण और राय–ठाकुर के रूप में विद्यमान।

IV. कहां–कहां से आए?

A. उत्तर अल्पाइन (मंगोलिया) के पठार से

B. उत्तरी अफगानिस्तान से

C. सायान पर्वत माला

D. उलान पर्वत माला

V. मंगोलायड्स की विशेषताएं–

A. गोल सिर–कपाल सूचकांक 85–89

B. बाल सीधे और चपटे

C. चेहरा और जबड़ा नतोदर

D. नाक पतली और संकरी

E. रंग हल्का–पीला सा खुमानी

F. गुस्सैल, हिंसक और अंधविश्वासी

G. मुख्याहार–मांस, मदिरा, फल–कंद मूल

साभार – शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास
पृष्ठ सं. 84 से 91
एस. के. पंजम

घरेलू हिंसा : जरूरत मानसिकता बदलने की

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि – संतान के जन्म या परिवार के पारस्परिक आयोजनों में दिए गए उपहारों को दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे मौकों पर ससुराल पक्ष द्वारा धन या उपहार की मांग यद्यपि नैतिक रूप से गलत है, पर उन्हें दहेज कानून के तहत अपराध का कारण नहीं बनाया जा सकता।

हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में पति को दोषी मानकर अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

सुप्रीमकोर्ट ने भी 2001 में एक मामले मे कहा था कि ऐसे अवसरों पर दिए गए उपहारों को दहेज नहीं माना जा सकता। दहेज कानून की परिधि के लिए पर्याप्त साक्ष्य, कारण और संदर्भ होना चाहिए। नियमों के अनुसार, विवाह के बाद सात वर्ष तक की अवधि में कोई गम्भीर अपराध हो गया हो तो शिकायतों को दहेज कानून के तहत दर्ज और उनकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा शिकायत तो कभी भी की जा सकती है परंतु पूर्ण साक्ष्यों के आधार पर ही। तकनीकी रूप से अपराध सिद्ध न हो पाने पर भी आरोपियों को लाभ मिल जाता है।

सताए जाने के मामले

पति या ससुराल द्वारा दहेज प्रताड़ना, 1983 के कानून की धारा 498–ए के अनुसार गैर जमानती अपराध है। शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों को गिरफ्तार करने और जांच के दौरान हिरासत में रखने का प्रावधान है।

पुलिस आमतौर पर इस तरह के मामलो में जुर्म करने से बचती है, ताकि परिवार वाले ही उसका हल निकाल लें। ऐसे मामलों में खासकर सास व ननद को ही अधिकतर दोषी ठहराया जाता है। कई मामले तो महिलाओं की हत्या या आत्महत्या से मर जाने के बाद भी शिकायतों के हैं। ऐसे मामलों में सजा को लेकर हमेशा काफी बहस होती रही है। एक मत था कि आरोपियों को जमानत न दी जाए, जिससे समझौते की गुंजाइश भी दर्ज करा दी जाती है। समझौते की पीछे भावना यह रखी हुई कि हर हाल में महिला का पत्नी और विवाहित वाला दर्जा बरकरार रहे। प्रावधान ऐसे न हों कि महिला कहीं की न रहे और उसके पुनर्वास की कठिनाई पैदा हो जाए। विवाह की परिवत्रता बचाना जरूरी है, ताकि ऐसे मामलों में समाज का दायित्व बना रहे।

दर्ज क्यों नहीं होती शिकायतें

मूल प्रश्न महिलाओं को सताए जाने और उनके उत्पीड़न का है। घर के भीतर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। इसके तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिला की शिकायत पर दोषी पति को जेल के साथ–साथ बीस हजार रूपए तक जुर्माना हो सकता है। सवाल यह है कि क्या इसे घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं फायदा उठा पाएंगी?

जबकि थानों में एक आम शख्स द्वारा किसी भी धारा के तहत मामला दर्ज करा पाना ही टेढ़ी खीर है। मामला दर्ज कराना हो तो किसी न किसी आर्थिक या राजनीतिक दबाव की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जिन कमजोर महिलाओं को घरेलू हिंसा सहन करनी पड़ रही है, उनकी थानों में स्थिति क्या होगी?

अधिकतर महिलाएं अपने पतियों को जेल में इसलिए ही बंद नहीं करा पातीं, क्योंकि इससे उनकी व बच्चों की रोटी छिन जाएगी।

कानून बन जाने मात्र से ही यदि समाज में सुधार हो जाता तो दहेज प्रथा न जाने कब की बंद हो चुकी होती। कानून के बावजूद दहेज के नाम पर सरेआम सौदेबाजी होती है। दहेज की मांग को लेकर अक्सर अपराध होते दिखाई देते हैं।

बढ़ती हिंसा

तमाम कोशिशों के बाद भी कोई कारगर हल निकलने के बजाय स्थितियां और अधिक जटिल होती जा रही हैं। महिला आयोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है।

हाल ही में विधि आयोग ने सलाह दी है कि विवाह की वर्तमान आयु 21 व 18 से घटाकर 18 व 16 कर दी जाए। एक विचित्र सलाह यह भी है कि माता–पिता की रजामंदी से विवाह की उम्र एक–आध वर्ष कम भी हो सकती है, पर इससे कम उम्र में सहवाह करना अपराध होगा।

तर्क दिया गया कि मताधिकार की उम्र यदि 18 वर्ष है तो विवाह की भी वही होनी चाहिए। 18 वर्ष का पुरूष वोट डाल सकता है तो विवाह भी कर सकता है। लेकिन, और 16 वें वर्ष में विवाह तो कर सकती है, पर वोट नहीं डाल सकती। जबकि साफ तौर पर वोट देना और विवाह करना दो अलग बातें हैं, तो ऐसे में उन्हें तर्क का आधार कैसे बनाया जा सकता है?

समाज में औरत की दुर्दशा का आलम यह है कि भ्रूण हत्याओं के कारण पुरूष व स्त्री का अनुपात बिगड़ रहा है, लड़कियों की संख्या दिनोंदिन कम हो रही है।

कानून होने के बावजूद कन्या भ्रूणों की हत्याएं हो रहीं हैं। स्कैनिंग सेंटरों में लिंग बताने पर पाबंदी है, परंतु क्या वह सख्ती से लागू हो पा रही है? कानून है और सजा का प्रावधान भी, बावजूद इसके बलात्कार की अनगिनत खबरें रोजाना सुनने को मिलती हैं।

घरेलू हिंसा का स्वरूप

पति–पत्नी अक्सर लड़ते–झगड़ते रहते हैं, परंतु बाद में वे सब कुछ भूल जाते हैं। समाज में किसी भी किस्म की हिंसा को रोकने के लिए सर्वप्रथम इस बात का गंभीर विश्लेषण जरूरी है कि आखिर लोग छोटी–छोटी बातों पर अचानक हिंसक क्यों हो जाते हैं, बाद में बेशक उन्हें अपनी गलती पर लम्बे समय तक पछताना क्यों न पड़े। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसका आनंद भी लेते हैं। यह एक तरह का मनोरोग है, यही घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है। एक दूसरे पर हावी होने व खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश भी कई बार हिंसा का कारण बनती है।

समस्या का समाधान

इस समस्या का एक हल पुरूषों और महिलाओं के समान अधिकार दिलाना माना गया। धीरे–धीरे यह समझ कम होती जा रही है कि स्त्री व पुरूष को प्रकृति ने एक दूसरे के पूरक के रूप में रचा है। उनका अलग–अलग वजूद भी तभी तक है, जब तक वे पूरक हैं। इस स्थिति से निकलने वाली महिलाएं आत्म निर्भर होने के बावजूद कई तरह की सामाजिक कठिनाइयां झेलती हैं। कानून भी उन्हें इससे कोई राहत नहीं दिला पाता।

दरअसल, कानून की मंशा भी दोनों के बीच समन्वय और पूरक की स्थिति बनाने की है। सुप्रीमकोर्ट ने कई वर्ष पहले अपने एक फैसले में निचली अदालतों को 'अव्यावहारिक निर्णय' से बचने की सलाह दी थी। कोर्ट का कहना था कि अदालती आदेश मात्र से पति–पत्नी को एक कमरे में बंद करके भी एक नहीं किया जा सकता। कानून नहीं, उनकी समझ ही स्थितियां सुधारती है।

सवाल मानसिकता का है। मानसिकता यदि स्त्री को प्रताड़ित करने की है तो कानून और अदालत क्या राहत दिलाएगा? केवल समाज ही शायद कुछ कर सकता है।

साभार :
महिलायें समझें अपने कानूनी अधिकार
पेज संख्या 153 से 155 तक
जे.के.वर्मा

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

संगठन क्षमता

महामानव डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ''शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो'' जो आह्वान किया था, वह सम्पूर्ण अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए था। यह तो स्पष्ट है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व इस देश में जो शिक्षा थी, वह धार्मिक ग्रंथों के पठन–पाठन तक सीमित थी और उसमें व्यावहारिक एवं व्यवसायिक ज्ञान का समावेश नहीं था और यह मनुवादी व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लिए ही थी। अछूतों अर्थात् तथाकथित शूद्रों के लिए तो वह थी नहीं, इसलिए शिक्षा हेतु सबसे लिए दरवाजे खोलने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है, हालांकि उन्होंने इस देश के सामाजिक ताने–बाने को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उच्च कहे जाने वाले वर्गों के लोग ही उनके द्वारा स्थापित स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा के लिए आगे आए। धर्मान्तरण के लालच में ईसाई मिशनरियों ने जरूर अछूतों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया। इससे अछूतों की सामाजिक तो नहीं, लेकिन आर्थिक स्थिति में जरूर फर्क आया।

हिन्दू मान्यता के अनुसार बड़ी से बड़ी शिक्षा के बावजूद महार, चमार, पासी आदि कोई भी बराबरी का हकदार नहीं हो जाता, इसका दर्द डॉ. अम्बेडकर से ज्यादा किसी ने नहीं झेला, इसलिए वे पूरे दलित समाज को शिक्षित करने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि लोग शिक्षित होने पर सवर्णों की रीति–नीति से वाकिफ हो जाएंगे, उनमें बराबरी का अहसास पैदा होगा और वे उसे पाने के लिए संगठित होकर प्रयास करेंगे। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन का प्रभुत्वसम्पन्न वर्णों ने ही ज्यादा प्रभावी रूप से अनुसरण किया और वे शिक्षित तो हुए ही, क्योंकि सारे अवसर उनके अनुकूल थे, परन्तु चौथे वर्ण को वहीं का वहीं दबाने के लिए संगठित भी हो गए। मगर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग पहले से भी अधिक खेमों में बंट गए और आरक्षण की सुविधा पाने के लिए छीना छपटी मच गई और सवर्ण अलग–अलग को उंगली लगाकर तमाशाबीन बनाता रहा। वह एक–एक को यही कहकर फुसलाता रहा कि यह तो तेरे लिए था और उसने हड़प लिया या उसने ज्यादा ले लिया या तुम अपना हिस्सा अलग करवा लो। इस दुरंगी चाल में वह कहीं–कहीं कामयाब भी हुआ।

चमार के अन्तर्गत ही आने वाली उपजातियों ने अलग जातीय अस्तित्व बनाने के लिए अपने ही दायरे में संगठन बनाने शुरू कर दिए। न तो 'दि चमार्स' के लेखक जी. डब्ल्यू. ब्रिग्स की बात पर अमल किया और न ही डॉ. अम्बेडकर के क्रांतिकारी उद्घोष पर एकजुटता दिखाई, जिसका ऐलान करते हुए सन् 1935 में ही डॉ. अम्बेडकर ने कहा था– ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो मेरे वश में नही था, परन्तु हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं''। जिस पर उन्होंने बहुत लम्बा मनन–चितन करके 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर, 1956 को अन्तिम निर्णय लिया और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को अपना पुनर्जन्म बताया। आज बड़ा ही क्रूर मजाक उनकी वैचारिक क्रांति के साथ हो रहा है, लोग देवता की तरह उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। जिस जाति समूह को उन्होंने अनुसूचित वर्ग की संज्ञा दी थी, उनमें आपस में ही संघर्ष चल रहा है। इधर जब कर्मचारी संगठनों ने 'बैकलॉग' पूरा करने के लिए दबाव बनाया, उधर सार्वजनिक उद्योगों और शिक्षा के निजीकरण की मुहिम तेज कर दी गई, फिर नेतृत्व के अहम् और टकराहट से इन संगठनों की धार भी कुन्द हो गई।

पहले तो चमार एक ही माला के मोती समझकर इन सबमें शिरकत करता रहा, लेकिन जब राज्य सरकारों के स्तर पर अनुसूचित वर्ग के कोटे के दो भागों में बाँटने की साजिश को अमली जामा पहनाया गया और उससे चमार के हितों को ठेस पहुंची, तो प्रतिकार में उसने जाति के नाम से संगठन बनाने की शुरूआत की और हरियाणा प्रदेश तथा जिला स्तर पर चर्मकार संघर्ष समिति गठित की गई। हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति की ओर से प्रान्तीय स्तर पर सम्मेलन तथा जनसभाएँ आयोजित की जाती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बिरादरी के लोग शामिल होते हैं, और सभी समस्याओं के समाधान के लिए रीति–नीति बनाते हैं। 'दुलीना' और 'हरसौला' की घटनाएँ हरियाणा के माथे पर कलंक हैं, इन दोनों ही मामलों पर प्रदेश की चमार बिरादरी के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, जिससे इन घटनाओं में अपराधियों को सजा का मार्ग प्रशस्त हो सका।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ की स्थापना सन् 1995 में 24 सितम्बर को हुई, जिसका श्रेय मा. बबनराव घोलप को जाता है और प्रवेश के सभी जिलों में उसकी शाखाएँ काम कर रही है। यह संघ चमारों की आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए दृढ़संकल्प है। श्री घोलप का कहना है कि हमारा समाज इतना पीछे क्यों हैं, इस पर सोचने का वक्त आ गया है। पहली जरूरत तो यह है कि दलित हीनता–बोध से मुक्त हों। जाति यदि किसी ब्राह्मण के लिए 'गर्व' की चीज है, तो दलित इस पर शर्म क्यों महसूस करे। दलितों को भी चाहिए कि वे एकजुट हों तथा अपने पर गर्व अनुभव करें कि हमारा अपना समूह इतिहास, संस्कृति और परम्पराएँ हैं। विद्वान और शूरवीर से लेकर संतो तक दलितों के पास गौरव का अक्षय भंडार है, फिर हीनता किस बात की?

श्री बब्बनराव घोलप जी मजबूत संगठन के बल पर और अपने प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ चर्मकारों को दिलवाने में सक्षम रहे हैं। चर्मकार संघ चमार समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने के लिए भी प्रयत्नशील है। सामाजिक उत्थान ही संघ का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रगति भी उसके एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पर है।

महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ एक पूर्णतः गैर–सरकारी संगठन है। छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहूजी महाराज, संघ के आदर्श है, इसलिए समता आधारित समाज–व्यवस्था का निर्माण करना उसका सपना है। 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' संत रविदास जी का यह वचन बोध वाक्य के रूप में चुना गया है इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चमार बिरादरी के संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वरूप के चमार बिरादरी के संगठन की अभी कमी बनी हुई है, जो सही मायने में तमाम बिरादरी को एकजुट कर सकें।

अनेक जातियों/उपजातियों ने अपनी–अपनी पहचान बनाकर दूसरे समाजों एवं सरकार पर दबाव बनाने तथा किसी भी प्रकार से अधिक लाभ लेने के लिए जाति एवं उपजाति के नाम से संगठन बनाए हैं। उदाहरण रूप में क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, जाट महासभा, गुर्जर महापंचायत, अग्रवाल महासभा, राजपूत महासभा तथा बिश्नोई महासभा और अनुसूचित जातियों/जनजातियों में वैरवा महासभा, रैगर महासभा और गौंड महासभा बनी हैं, जो अपनी जाति के उत्थान हेतु प्रयास कर रही हैं, जिससे चमार समाज काफी दबाव में है और इस होड़ में अपने आपको काफी पीछे ढकेला गया महसूस कर रहा है। इन जातिगत संगठनों को लाभबन्दी के मद्देनजर चमार जाति राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में जिन लोगों ने पहल की है, उनमें मुख्य रूप से श्री ब्रह्मपाल, जो अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय पी.एण्ड.टी. एस.सी./एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन के दो दशक से भी अधिक समय से महासचिव है, श्री राजेन्द्र सिंह, जो अनु–जाति/जनजाति कर्मचारियों के कई राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं डॉ. आर.एम.एस. विजयी, जो एक स्वयंसेवी संगठन, अखिल मानव समाज सेवा संघ तथा अमर शहीद अधम सिंह जन्म शताब्दी समारोह समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं, श्री राम प्रसाद आर्य, चमार महासभा, बस्ती, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र पाल, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. श्री राजपाल सिंह, 'मानव' दिल्ली, श्री शिव कुमार कटारिया, बडौत, उ.प्र. तथा मा. विजेन्द्र कुमार दिल्ली आते हैं। प्रेरक के रूप में डॉ. सूरजभान जो राष्ट्रीय अनु.जाति, जनजाति आयोग के अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, जो कहते थे कि सबसे पहले मैं चमार हूँ और सब कुछ बाद में।

अखिल भारतीय चमार महासंघ के नाम से अस्तित्व में आया राष्ट्रव्यापी संगठन अभी प्रारंभिक चरण में हैं और चमार समाज की सभी समस्याओं को हल करना, कराना इसकी कार्य सूची में हैं। लेकिन सन् 2004 में बना यह गैर–राजनीतिक संगठन अपने उद्देश्यों के अनुरूप देश के विभिन्न प्रदेशों में अपनी जड़ जमाने के लिए प्रयत्नशील है और अभी तक इसकी गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं।

जरूरत इस बात की है –

1. चमार समुदाय के लोगों में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी प्रकार के आपसी मनमुटाव या भेदभाव को दूर कर संगठित करना।
2. उनके हित में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में उन्हें शिक्षित करना तथा परिलक्षित क्षेत्र का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करना।
3. चमार समाज के बच्चों के लिए शिक्षा व रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना या सरकार से कराना व इस कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और चमार रेजीमेंट भारतीय सेना में पुनः स्थापित कराना।
4. चमार समाज के लोगों के आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार व सांस्कृतिक गतिविधियों की तीव्रता के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर को–आपरेटिव बेस पर चलाना।
5. किसी भी स्तर पर चमार समाज के लोगों के उत्पीड़न व अत्याचार का विरोध करना तथा केन्द्र/राज्य सरकार के संज्ञान में लाना।
6. चमार समाज के ऐतिहासिक गौरव व सम्मान को स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक शोध कार्य करना इसे समाज को अवगत कराना और दहेज प्रथा के विरोध में वातावरण बनाना।
7. चमार समाज के लिए उनकी संख्या के अनुसार हर स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा समाज के प्रति पूर्ण निष्ठावान व ईमानदार प्रतिनिधि को उत्साहित करना व नामित करना आदि।

चमार समाज की भलाई के इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई हो, इसके लिए केवल बातें करने से काम चलने वाला नहीं है और समाज के प्रति निष्ठावान और सेवा भाव से काम करने वालों की जरूरत है, जो निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से परे हों और चमार जाति के अतीत का गौरव हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आशा की जाती है कि महासंघ का शीर्ष नेतृत्व समाज की बराबरी और खुशहाली की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। वैसे समाज के प्रति निष्ठावान लोगों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाये गए, यू.के. तथा यू.एस.ए. में रविदास महासभा तथा गुरू रविदास टैम्पल ट्रस्ट की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु गौरवशाली चमार जाति को बराबरी और खुशहाली के स्तर पर लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसके लिए अधिक सक्रिय प्रयासों की जरूरत है।

साभार :
चमार जाति इतिहास और संस्कृति
पेज संख्या 81 से 85 तक
एस.एस. गौतम
डॉ. आर.एम.एस. विजयी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

द्रविड़ भारत मासिक पत्रिका परिवार के सभी लोगों को डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएं .....

कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है, जहाँ शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है, जहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता, जहाँ बेरोजगारी नहीं है, जहाँ गरीबी नहीं है, जहाँ व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणामस्वरूप जहाँ व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी–रोटी की हानि के भय से मुक्त है।

डा. भीमराव अम्बेडकर

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

Government of India / भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
Directorate General of Employment / रोजगार महानिदेशालय
National Career Service Centre for SC/STs / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र
Regional Employment Exchange Campus / प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर
G.T. Road, Kanpur-208005 / जी0टी0 रोड, कानपुर–208005
Ph. No. : 0512-2970822

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

निःशुल्क कोर्स अनुसुचित जाति/जन जाति हेतु

The detail of Courses/Training Programmes with eligibilty criteria is as under :-

S. No.	Name of the courses	Duration of the courses	Age Limit	Minimum Qualification	Maximum Family Income	Books & Stationery & Stipend Rs. 1000/- Per month	Likely to be Commenced
1	Special Coaching Scheme (Slenography)	01 Year	18-27 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023
2	'O' Level Computer Software training through NIELIT	01 Year	18-30 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023
3	'O' Level Computer hardware training through NIELIT	01 Year	18-30 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023
4	Office Automation Accounting and Publishing Assistant through NIELIT	06 Months	18-30 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023
5	Computer Application and Business Accounting Asscoiate through NIELIT	01 Year	18-30 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023
6	Cyber Secured web Development Associated through NIELIT	01 Year	18-30 years (as) on 01-07-2023)	10+2 Passed	Rs. 3.00 lakh per annum	Free	01.07.2023

Desirous SC/STs jobseekers may visit www.ncs gov.in or www doe gov.in and submit their application to the National Career Service for SC/STs where the candidate is interested for participating in the above said program. Candidates would be considered for only one course. The candidates may indicate their choice of courses in order of their preferences

(Raj Kumar)
सब रिजनल इम्प्लायमेन्ट ऑफिसर
एन.सी.एस.सी.फॉर एस.सी./एस.टी., कानपुर
Mob. No. 7988193472

Last date for Submission of application to NCSC for SC/STs, Kanpur is 30.04.2023

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।